संख्या-006/पीआरसी/1
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 11.12.2014

परिपत्र सं0 09/12/2014

विषय : सलाह के लिए आयोग को संदर्भ भेजना - प्रक्रिया संबंधी ।

संदर्भ : (i) दिनांक 13.03.2006 का आयोग का परिपत्र सं0 14/3/06
(ii) दिनांक 01.12.2008 का आयोग का परिपत्र सं0 32/12/08
(iii) दिनांक 06.08.2009 का आयोग का परिपत्र सं0 21/8/09

अनुशासनिक कार्यवाहियों में आयोग से दो चरणों में परामर्श लिया जाता है अर्थात अन्वेषण रिपोर्ट पर प्रथम चरण की सलाह ली जाती है तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर द्वितीय चरण की सलाह ली जाती है । मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा आयोग की सलाह के लिए भेजे गए तथ्यों एवं संदर्भों की जांच की उचित समीक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में, आयोग मामले का सारणीबद्ध विवरण उपलब्ध कराने सहित पूर्ण विवरण/रिकार्ड भेजने की आवश्यकता पर बल देता रहा है जैसा कि उपर्युक्त परिपत्रों में निर्धारित किया गया है । यह प्रेक्षित किया गया है कि विभागों/संगठनों द्वारा आयोग को प्रथम चरण/द्वितीय चरण की सलाह के लिए मामले भेजते समय सारणीबद्ध विवरण भेजे नहीं जा रहे हैं अथवा उचित प्रकार से भरे नहीं जा रहे हैं ।

2. सतर्कता मैनुअल (छठा संस्करण) के अध्याय II में निर्धारित मुख्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यों के अनुसार, अन्वेषण रिपोर्ट के साथ, मामले में शामिल प्रत्येक संदिग्ध अधिकारी के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी की स्पष्ट सिफारिशें संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने हेतु भेजी जानी होती है । अनुशासनिक प्राधिकारी की अंतरिम राय/सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, जहां भी आवश्यक हो मामले को प्रथम चरण की सलाह के लिए आयोग को भेजने की आवश्यकता है । उसी प्रकार मुख्य सतर्कता अधिकारी, जांच अधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे तथा आगे की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी की अंतरिम राय प्राप्त करने के बाद, जहां भी आवश्यक हो आयोग की द्वितीय चरण की सलाह मांगेंगे । आयोग के साथ परामर्श करने को, अधिक सरल एवं कारगर बनाने के लिए अब से, आयोग की प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की सलाह के लिए संदर्भों को भेजते समय अन्य रिकार्ड/दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए प्रपत्रों में सारणीबद्ध विवरण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए :-

प्रथम चरण की सलाह

क्रम संख्या	संदिग्ध अधिकारी का नाम एंव पदनाम	आरोप (संक्षेप में)	संदिग्ध अधिकारी का बयान	प्रत्येक आरोप पर जांच / अन्वेषण का निष्कर्ष	मुख्य सतर्कता अधिकारी की टिप्पणी/सिफारिश	अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणी/सिफारिश

द्वितीय चरण की सलाह

क्रम संख्या	दोषी अधिकारी का नाम एंव पदनाम	आरोपों के प्रत्येक अनुच्छेद पर (संक्षेप में) आरोप	रक्षा बयान/ दोषी अधिकारी का बयान	आरोपों के प्रत्येक अनुच्छेद पर जांच अधिकारी का निष्कर्ष	जांच अधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य सतर्कता अधिकारी की टिप्पणी	जांच अधिकारी के निष्कर्ष पर अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणी/सिफारिश

3. सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग की सलाह के लिए भेजे जा रहे संदर्भों के साथ पूर्ण सूचना/रिकार्ड भेजे जाएं ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।